रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2012/भाद्र 22, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 144
No. 157] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2012/BHADRA 22, 1934 [N.C.T.D. No. 144

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 सितम्बर, 2012

फा. सं. 6/68/2010-न्याय/पार्ट फाईल/suptlaw/697-700.—माननीय न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार कैत ने, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यालय का कार्यभार दिनांक 5-9-2012 (पूर्वाह्न) से संभाल लिया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

तरुन सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 13th September, 2012

F. No. 6/68/2010-Judl./Pt. file/suptlaw/697-700.—Hon'ble Mr. Justice Suresh Kumar Kait has assumed charge of his office as Additional Judge of the High Court of Delhi in the Forenoon of 5-9-2012.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 सितम्बर, 2012

फा. सं. 4(102)/उ.द. अधि. [illegible]/2012/1720-34.—दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम---) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली भू-राजस्व नियमावली, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) ये नियम दिल्ली भू-राजस्व (संशोधन) नियमावली, 2012 कहे जाएंगे ।

(2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. **नये नियम 83क का सन्निवेशन.**—दिल्ली राजस्व नियमावली, 1962 (जिसे इसके पश्चात् मुख्य नियमावली कहा गया है) के नियम 83 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"83क. (1) इलैक्ट्रॉनिक रूप खतौनी फार्म पी-6ए में तैयार की जाएगी जिसमें धारा 20 में यथानिर्धारित रूप में गांव के खेती करने वाले या अन्यथा रूप में भूमि पर कब्जा रखने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण दिया जाएगा ।"

3. **नये नियम 84क का सन्निवेशन.**—मुख्य नियमावली के नियम 84 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"84क (1) नियम 84 में कुछ भी रहते हुए उस नियम के उप-नियम (1) के अधीन प्रदान की गई खतौनी को इलैक्ट्रॉनिक रूप में उप/मंडल आयुक्त द्वारा यथानिदेशित तरीके से तथा सुरक्षा के अंतर्गत रखी जाएगी ।

(2) इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाने वाली खतौनी हस्तकृत रूप में तैयार की गई पिछली खतौनी से तैयार की जाएगी तथा नयी खतौनी के कॉलम 1 से 6 पिछली खतौनी से सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार तथा पिछली खतौनी के कॉलम 7, 8, 9 तथा 10 में दर्ज सभी परिवर्तनों को शामिल करते हुए भरी जाएगी । इलैक्ट्रॉनिक रूप में बनाई गई खतौनी में परिवर्तन पूर्ववर्ती प्रविष्टियों के नीचे उक्त खतौनी के कॉलम 1 से 6 में सन्निविष्ट की जाएगी । ये सभी परिवर्तन कालक्रम से पर्वताकार में दर्ज किए जाएंगे ।

(3) इलैक्ट्रॉनिक रूप में यह नयी खतौनी नियमानुसार तथा उपायुक्त द्वारा यथानिदेशित तरीके से चतुर्वार्षिक रूप से तैयार की जाएगी ।

(4) इलैक्ट्रॉनिक रूप से तैयार खतौनी में राजस्व अधिकारियों द्वारा आनलाइन किए गए परिवर्तन स्वीकृति पर खातों का स्वतः अद्यतन हो जाएगा ।"

4. **नये नियम 101क का सन्निवेशन.**—मुख्य नियमावली के नियम 101 के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"101क. नियम 101 के प्रावधान उस गाँव की खतौनी पर लागू नहीं होंगे जिसको इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है । इलैक्ट्रॉनिक खतौनी को चतुर्वार्षिक रूप से तैयार किया जायेगा । जिसकी जाँच गिरदावर, कानूनगो तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा यथानिदेशित सुरक्षा तथा तरीके से की जायेगी ।"

5. **नये नियम 103क का सन्निवेशन.**—मुख्य नियमावली के नियम 103 के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"103क. नियम 103 के उप-नियम (1) के प्रावधान इलैक्ट्रॉनिक रूप से तैयार तथा रखी गई खतौनी पर लागू नहीं होंगे ।"

6. **नये नियम 106क का सन्निवेशन.**—मुख्य नियमावली के नियम 106 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"106क. (1) यदि मुख्य आयुक्त ने दिल्ली भू-सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अधीन भूमिधर के किसी खेत या उसके भाग को औद्योगिक उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाना है तो स्वीकृत भूमि संबंधी प्रविष्टि इलैक्ट्रॉनिक रूप में बनाई गई खतौनी को कथन वाले कॉलम में दर्ज किया जाएगा ।

(2) उक्त उप-नियम (1) में दिए गए उपबंध को छोड़कर नियम 106 के अन्य उपबंध इलैक्ट्रॉनिक रूप की खतौनी पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गांगर, विशेष सचिव (राजस्व)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th September, 2012

F. No. 4(102)/SDM (HQ)/SW/2012/1720-34.—In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Delhi Land Revenue Act 1954 (Delhi Act—1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules to amend the Delhi Land Revenue Rules, 1962 as following namely :—

1. Short title and Commencement. — (1) These rules may be called the Delhi Land Revenue (Amendments) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Insertion of New Rule 83A.—In the Delhi Revenue Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal Rules), after rule 83, the following rule shall be inserted, namely :—

"83A. (1) The Khatauni in electronic form shall be prepared in Form P-6A which shall be containing the details of all persons cultivating or otherwise occupying land in a village as prescribed by Section 20."

3. Insertion of new rule 84A.—In the principal Rules, after rule 84, the following rule shall be inserted namely :—

"84A. (1) Notwithstanding anything contained in rule 84, the Khatauni provided under sub-rule (1) of that rule, shall be kept in electronic form in the manner and subject to the safeguards as may be directed by the Deputy/Divisional Commissioner.

(2) The Khatauni kept in electronic form shall be prepared from the previous Khatauni maintained in manual form and columns 1 to 6 of new Khatauni shall be filled from the previous Khatauni incorporating all the changes ordered by the Competent Authorities and noted in Columns 7, 8, 9 and 10 of the previous Khatauni. The changes in

the Khatauni maintained in electronic form shall be incorporated in columns 1 to 6 of the said Khatauni below the previous entries. All such changes shall be entered in serratum in chronological order.

(3) The new Khatauni in electronic form shall be prepared quadrennially in accordance with this rule and manner so directed by the Deputy Commissioner.

(4) In the Khatauni, maintained in electronic form there will be automatic updation of khatas consequent upon sanction of mutation which will be effected online by the Revenue Officers."

4. **Insertion of new rule 101 A.**—In the principal rules, after rule 101, the following rules shall be inserted, namely :—

"101A. The provisions of rule 101 shall not apply to the Khatauni of the village which is maintained in electronic form. The Khatauni in electronic form shall be prepared quadrennially and shall be checked by the Girdawar Kanungo and Tehsildar/Naib Tehsildar in the manner and with safeguards as directed."

5. **Insertion of new rule 103A.**—In the principal rules, after rule 103, the following rule shall be inserted, namely :—

"103A. The provisions of sub-rule (1) of Rule 103 shall not apply to the Khatauni prepared and maintained in electronic form."

6. **Insertion of new rule 106A.**—In the principal Rules, after rule 106, the following rule shall be inserted, namely :—

"106A. (1) If a holding or part thereof of Bhoomidhar is sanctioned by the Chief Commissioner under Section 23 of the Delhi Land Reforms Act, 1954, to be used for industrial purpose, an entry in respect of the land so sanctioned shall be recorded in the Remarks column of the Khatauni maintained in electronic form.

(2) The other provisions of rule 106 shall apply mutatis mutandis to the Khatauni in electronic form except as provided in sub-rule (1) above.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

KULDEEP SINGH GANGAR, Spl. Secy. (Revenue)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.